<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99</u>

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-10062021-227471 SG-DL-E-10062021-227471

असाधारण EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 159]दिल्ली, बुधवार, जून 9, 2021/ज्येष्ठ 19, 1943[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 46No. 159]DELHI, WEDNESDAY, JUNE 9, 2021/JYAISTHA 19, 1943[N. C. T. D. No. 46

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि न्याय एवं विधायी कार्य विभाग अधिसूचना

दिल्ली, 8 जून, 2021

सं.फा. 8/1/96—न्यायिक/वॉल्यूम 2/अधी०एलएडब्ल्यू/519-523.—विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39 अधिनियम) की धारा 29—क के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) के खंड (ग) तथा धारा 9 की उपधारा (4) द्वारा यथापेक्षित दिल्ली उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एतद्द्वारा उच्च न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम, 1998 में संशोधन के लिए निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात् :—

विनियम 1:

संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :-

- (1) इन विनियमों को उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति (संशोधन) विनियम, 2021 के नाम से जाना जाएगा।
- (2) ये दिल्ली राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- 2. विनियम 2 का संशोधन उच्च न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम (इसके पश्चात् मूल विनियम कहा जाये) में विनियम 2 ,निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

उप-विनियम (ख) के लिये प्रतिस्थापित किया जायेगा

3059 DG/2021 (1)

(ख) **''सहायता प्राप्त व्यक्ति''** से वही अभिप्राय है जैसा दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण विनियम, 2002 (2016 में यथासंशोधित) के विनियम 2 (च) के अन्तर्गत इसे परिभाषित किया गया है;

उप-विनियम (च) के लिये प्रतिस्थापित किया जायेगा

(च) "विधिक सेवा अधिवक्ता" (एनएसए) से अभिप्राय है, अधिवक्ता जिसे उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा किसी एक पैनल में नामजद किया गया है जिसका गठन विधिक सहायता एवं सेवाओं के लिए किया गया है तथा वह अधिवक्ता भी शामिल है जिसे उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति अथवा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किसी विधिक सेवा से संबंधित कोई कार्य सौंपा गया हो;

उप-विनियम (झ) के लिये प्रतिस्थापित किया जायेगा

(झ) **''राज्य प्राधिकरण''** से अभिप्राय है इस अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत गठित दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण;

उप-विनियम (ञ) के लिये प्रतिस्थापित किया जायेगा

- (ञ) ''इस विनियम में प्रयुक्त ''शब्द'' व ''अभिव्यक्तियाँ'' जो परिभाषित नहीं है, इनका वही अर्थ माना जाएगा जो क्रमशः इन्हें इस अधिनियम में समनुदेशित किया गया है;
- 3. विद्यमान विनियम 12 हटाया जायेगा :
- 4. विद्यमान विनियम 13 विनियम 12 के रूप में पुनः संख्यािकत होगा तथा निम्न प्रकार प्रतिस्थािपत किया जायेगा, अर्थात् :—धारा 19 की उपधारा (4) में विनिर्दिश्ट उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा आयोजित लोक अदालत के अन्य व्यक्तियों का अनुभव एवं योग्यताएं:

''कोई व्यक्ति लोक अदालत में शामिल होने का पात्र नहीं होगा जब तक कि वह :

- (क) उच्च न्यायालय का आसन या सेवानिवृत्त न्यायाधीश न हो;
- (ख) सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी न हो;
- (ग) विधिक पेशे का सदस्य न हो;
- (घ) अन्य कोई पेशेवर जैसे डॉक्टर इसमें मध्यस्थ भी शामिल हैं;
- (ङ) ख्याति प्राप्त कोई व्यक्ति जो विधिक सेवा स्कीम तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में विशेष रूचि रखता हो; या
- (च) कोई प्रसिद्ध कार्यकर्ता जो अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, महिला, बच्चों, ग्रामीण तथा शहरी श्रमिक के कमजोर तबके के उत्थान में संलग्न हो।
- 5. विद्यमान विनियम 14 विनियम 13 के रूप में पुनः संख्याकित होगाः

लेखा परीक्षा एवं लेखा समिति

6. विद्यमान विनियम 15 विनियम 14 के रूप में पुनः संख्याकित होगाः

विधिक सेवा के लिये आवेदन

7. विद्यमान विनियम 16 विनियम 15 के रूप में पुनः संख्यािकत होगा तथा निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्ः

आवेदनों का निपटान

- "(1) विनियम 14 में उल्लिखित विधिक सेवा के लिए प्राप्त आवेदन पत्र पर सचिव नियमानुसार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवेदक की पात्रता की जांच व निर्धारण करेगा।
- (2) यदि आवेदक पात्रता मानदंड पूरा करता है तो सचिव राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा) विनियम, 2010 के अनुसरण में उसके आवेदन की प्राथमिकता के आधार पर जांच की शुरूआत करेगा।
- (3) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा) विनियम, 2010 के अन्तर्गत गठित सचिव / जांच समिति द्वारा किसी भी मामले में, यदि वह उचित नहीं पाती है तो विधिक सेवा प्रदान करने संबंधी आवेदन को लिखित में कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए अस्वीकार्य किया जा सकता है।
- (4) आवेदक जिसका आवेदन विधिक सेवाओं के लिए अस्वीकार्य किया गया है इन्हें अध्यक्ष के समक्ष अपील के लिए निर्णायर्थ प्रस्तुत किया जा सकता है।
- (5) विधिक सेवा प्रदान न करने के मामले में सचिव आवेदक को इसके अस्वीकरण की लिखित में जानकारी देगा।

8. विद्यमान विनियम 17 विनियम 16 के रूप में पुनः संख्यािकत होगा तथा निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थातः

विधिक सेवा की पद्धति

- (क) कोर्ट शुल्क, परंतुक / बशर्तें मुफालिसों की पैरवी के लिए कोर्ट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने के बाद ही कोर्ट शुल्क देय होगा और कोर्ट के इस पर आदेश प्राप्त करें;
- (ख) किसी विधिक कार्यवाही के संबंध में या खर्च हुई प्रोसेस शुल्क या अन्य ऐसे प्रभार;
- (ग) किसी विधिक कार्यवाही के मसौदे, इसे तैयार करना या फाइल किए जाने संबंधी प्रभारों औरविधिक कार्यवाही में विधिक अधिवक्ता द्वारा अभ्यावेदन;
- (घ) विधिक कार्यवाही में निर्णय, आदेश व अन्य प्रलेखों की सत्यापित प्रति प्राप्त करने व आपूर्ति हेतु लागत;
- (ङ) विधिक कार्यवाही और संबंधित प्रासंगिक खर्चों में पेपर बुक (प्रलेखों के पेपर, मुद्रण और अनुवाद सहित) तैयार करने की लागत।

स्थानीय कमीशनर के शुल्क यथाः फोटोग्राफर / इलैक्ट्रिशयन / प्लम्बर / मेशन के प्रभारों और इस प्रकार के अन्य खर्चों तथा चिकित्सा जांच संबंधी प्रभारों के अलावा तात्कालिक निरीक्षण संबंधी प्रभारों का भुगतान नहीं किया जायेगा बशर्ते अध्यक्ष का अनुमोदन हो।

- 9. विद्यमान विनियम 18 को हटाया जायेगाः
- 10. विद्यमान विनियम 19 विनियम 17 के रूप में पुनः संख्याकित होगा तथा निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थातः

कुछ मामलों में विधिक सेवा प्रदान की जा सकती है।

"जांच के तरीके से निरेक्षप, अध्यक्ष द्वारा विधिक सेवा प्रदान की जाए:

- (ख) विशेष मामले में जिस पर अन्यथा विचार किए जाने है के संबंध में विधिक सेवा प्रदान की जा सकती है":
- 11. विद्यमान विनियम 20 को विनियम 18 के रूप में पुनःसंख्यांकित होगा तथा निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्ः

विधिक सेवा अधिवक्ताओं के कर्त्तव्य

- (1) विधिक सेवा अधिवक्ता (एलएसए) को ऐसे मानदेय का भुगतान किया जायेगा जो राज्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित हो।
- (2) प्राधिकरण द्वारा सौंपी गई ड्यूटियों का प्रत्येक विधिक सेवा अधिवक्ता समयबद्ध, ध्यानपूर्वक और मुसतैदी से पूरा करेगा।
- (3) प्रत्येक विधिक सेवा अधिवक्ता सहायता प्राप्त व्यक्ति को शीघ्रता से और समयबद्ध सेवा देने के लिए प्रयासरत रहेगा।
- (4) (क) प्रत्येक विधिक अधिवक्ता सुनिश्चित करेगा कि उन्हें सौंपे गए मामलों की प्रत्येक सुनवाई में उपस्थित रहेगा और मुसतैदी से मामलों का निपटान करेगा।
- (ख) किसी विधिक सेवा अधिवक्ता को अभिहस्तांकित सहायता प्राप्त व्यक्ति के मामला पर निर्णय लिए जाने की स्थिति में विधिक सेवा अधिवक्ता डिग्री, निर्णय, साक्ष्य, पैरवी तथा अन्य अपेक्षित प्रलेखों की सत्यापित प्रतियों के आवेदन करेगा जिनकी सत्यापित प्रतियां अभी तक नहीं ली गई हों।
- (ग) किसी अपील / रिवीजन को फाइल करने की संभाव्यता के विशिष्ट संदर्भ सहित किसी मामले में अपेक्षित आगे की कार्रवाई के संबंध में इन सत्यापित प्रतियों को विधिक सेवा अधिवक्ता के विस्तृत टिप्पणी के साथ प्राधिकरण में प्रस्तुत करेगा।
- (घ) विधिक सेवा अधिवक्ता जो अपना एसाइन्मेंट पूरा करता है जिला प्राधिकरण के सचिव को सत्यापित प्रतियों सहित सहायता प्राप्त व्यक्ति की ओर से की गई विधिक कार्यवाही की रिपोर्ट के साथ उन्हें देय मानदेय दर्शानेवाली स्टेटमेंट इस एसाइनमेंट के पूरे होने की तिथि के 45 दिनों के अन्दर प्रस्तुत करेगा। सचिव, आवश्यक जांच के बाद उन्हें देय शुल्क और खर्चों का अनुमोदन प्रदान करेगा।

बशर्तें कुछ उचित मामलों और पर्याप्त कारणों के रहते उक्त 45 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद भी सचिव द्वारा भुगतान के लिए प्रोसेस किया जा सकता है।

- (5) प्रत्येक विधिक अधिवक्ता राज्य या जिला प्राधिकरण और उक्त प्राधिकरण द्वरा यथानिर्देशित सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेगा।
- (6) प्रत्येक विधिक सेवा अधिवक्ता प्राधिकरण द्वारा इन्हें सौंपे गए कार्य/मामलों से संबंधित तिमाही विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। उक्त रिपोर्ट तिमाही समाप्ति के बाद 7 दिन के अंदर जमा की जाएगी।

12. विद्यमान विनियम 21 विनियम 19 के रूप में पुनः संख्यािकत होगाः

सहायता प्राप्त व्यक्ति का कर्त्तव्य

13. विद्यमान विनियम 22 विनियम 20 के रूप में पुनः संख्याकित होगाः

विधिक सेवा को वापिस लेना

विनियमन 20 के बाद- निम्नलिखित विनियमन को क्रमशः जोडा जायेगा।

14. विनियम 21, विनियमों तथा नियमों के बीच प्रतिकूलता।

इन विनियमों तथा नियमों या राज्य प्राधिकरण के विनियमों के बीच प्रतिकूलता की स्थिति में अन्तिम विनियम या नियम मान्य होंगे।

> दिल्ली राश्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर,

संजय क्मार अग्रवाल, प्रधान सचिव (विधि, न्याय तथा विधायी कार्य)

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS NOTIFICATION

Delhi, the 8th June, 2021

No. F.8/1/96-Judl./Vol.II/Suptlaw/519-523.—In exercise of the powers conferred under Section 29A of the Legal Services Authorities Act, 1987 (Act 39 of 1987) in consultation with the Hon'ble Chief Justice of the Delhi High Court, as required by sub-section-(4) of Section 9 and clause (c) of sub-section (2) of Section 10 of the said Act, the State Legal Services Authority hereby makes the following regulations to amend the High Court Legal Services Committee Regulations, 1998, namely:-

- 1. **Short Title and commencement :-** (1) These regulations may be called the High Court Legal Services Committee (Amendment) Regulations, 2021.
 - (2) They shall come into force on the date of publication in the Delhi Gazette.
- 2. **Amendment of regulation 2 in the High Court Legal Services Committee Regulation** (hereinafter called principal regulation) in regulation 2, the following shall be substituted namely:-

for sub- regulation (b) shall be substituted

(b) "Aided person" shall have the same meaning as defined under Regulation 2(f) of the Delhi Legal Services Authority Regulations 2002 (as amended in 2019);

for sub- regulation (f) shall be substituted

(f) "Legal Services Advocate" (LSA) means an advocate who has been empanelled by the High Court Legal Services Committee in any of the panels constituted to provide legal aid and services and would also include an advocate who has been assigned any work related to legal services by the Delhi High Court Legal Services Committee or the State Legal Services Authority;

for sub- regulation (i) shall be substituted

- (i) "State Authority" means the Delhi State Legal Services Authority constituted under Section 6 of the Act; for sub- regulation (j) shall be substituted
- (j) All other words and expressions used in these regulations but not defined shall have the same meaning assigned to them in the Act"
- 3. Existing regulation 12 shall be deleted.
- 4. Existing regulation 13 shall be re-numbered as regulation 12, the following shall be substituted, namely: -

The Experience and qualifications of other persons of the Lok Adalats organized by the High Court Legal Services Committee specified in sub-section (4) of Section 19:

- "A person shall not be qualified to be included in the Lok Adalat unless he is:
- (a) a sitting or retired Judge of the High Court;
- (b) a serving or retired judicial officer;

- (c) a member of the legal profession;
- (d) any other professional such as Doctors including Mediators;
- (e) a person of repute who is specially interested in the implementation of the Legal Services Scheme and Programmes; or
- (f) an eminent worker who is engaged in the upliftment of the weaker sections of the people including Scheduled Castes, Scheduled Tribes, women, children, rural and urban labour."
- 5. Existing regulation 14 shall be re-numbered as regulation 13.

Audit and Accounts Committee.

6. Existing regulation 15 shall be re-numbered as regulation 14.

Application for the Legal Services.

7. Existing regulation 16 shall be re-numbered as regulation 15, the following shall be substituted, namely:-

Disposal of Applications

- On receipt of an application for legal service mentioned in Regulation 14, the Secretary shall first cause the eligibility of the applicant as per the provisions of the Act read with the rules, examined and determined.
- If the applicant satisfies the eligibility criteria, the Secretary shall proceed to examine the merit of his application in accordance with the National Legal Services Authority (Free and Competent Legal Services) Regulations, 2010.
- An application for the grant of legal services in any matter if it is not found fit, may be rejected, for the reasons to be recorded in writing, by the Secretary/Scrutiny Committee constituted under the National Legal Services Authority (Free and Competent Legal Services) Regulations, 2010.
- The applicant whose application for grant of legal services has been rejected may prefer an appeal before the Chairman for a decision.
- In case of refusal for the grant of legal services, the Secretary shall inform the applicant in writing of such refusal."
- 8. Existing regulation 17 shall be re-numbered as regulation 16, the following shall be substituted, namely:-

Modes of Legal Services

- "a) Court fees, provided that Court fees will be payable only after an application is moved before the Court for suing in forma pauperis and orders of the Court obtained thereon.
- b) process fees and other similar charges payable or incurred in connection with any legal proceedings;
- c) charges for drafting, preparing, filing of any legal proceedings and representation by a legal practitioner in legal proceedings;
- d) cost of obtaining and supply of certified copies of judgments, orders and other documents in legal proceedings;
- e) cost of preparation of paper book (including paper, printing and translation of documents) in legal proceedings and expenses incidental thereto;

provided that charges for spot inspection other than local commissioner's fee, such as photographer's/ electrician's/plumber's/mason's charges and similar expenditure, charges for medical examination and the like, shall not be payable, except with the approval of the Chairman".

- 9. Existing regulation 18 shall be deleted.
- 10. Existing regulation 19 shall be re-numbered as regulation 17, the following shall be substituted, namely:-

Legal Services may be granted in certain cases

"Irrespective of the means test, legal service may be granted by the Chairman:

(b) in a special case which is considered otherwise deserving of legal services"

11. Existing regulation 20 shall be re-numbered as regulation 18, the following shall be substituted, namely:-

Duties of Legal Services Advocates

- "(1) The Legal Services Advocate shall be paid such honorarium as may be fixed by the State Authority.
- (2) Every Legal Services Advocate shall attend to all duties assigned by the Authority punctually, attentively and diligently.
- (3) Every Legal Services Advocate shall endeavour to provide quick and timely services to the aided person.
- (4) (a) Every Legal Services Advocate shall ensure his attendance on each hearing of the case assigned to him and shall diligently work towards the disposal of the case.
 - (b) On a case of the aided person as assigned to any Legal Services Advocate being decided, such Legal Services Advocate shall apply for the certified copies of the decree, judgment, evidence, pleadings and other relevant documents, certified copies of which have not already been taken.
 - (c) Such certified copies shall be submitted to the Authority alongwith the detailed comments of the Legal Services Advocate regarding the further desired action in the case if any required with specific reference to feasibility of filing an appeal/revision.
 - (d) The Legal Services Advocate who has completed his/her assignment, shall submit within 45 days of the completion of such assignment, a statement showing the honorarium due to him/her together with the report of the work done in connection with the legal proceedings conducted by him/her on behalf of the aided person, along with certified copies, to the Secretary of the Committee who shall after due scrutiny sanction the fee and expenses payable to him/her.

Provided that in appropriate cases and for sufficient reasons, bills submitted after the expiry of the said 45 days may be processed by the Secretary for payment.

- (5) Every Legal Services Advocate shall attend all training programs, functions and the like organized by the State or the District Authority and as directed by the said Authorities.
- (6) Every Legal Services Advocate shall submit a quarterly detailed report in respect of the work/cases assigned to him/her by the Authorities. The said report shall be submitted within seven days of the expiry of the quarter."
- 12. Existing regulation 21 shall be re-numbered as regulation 19.

Duties of Aided person.

13. Existing regulation 22 shall be re-numbered as regulation 20.

Withdrawal of Legal Services.

After regulation 20- the following regulation shall be added namely:-

14. Regulation: 21. Conflict between regulations and rules.

In case of conflict between these Regulations and the Rules or Regulations of the State Authority, the latter shall prevail.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,
SANJAY KUMAR AGGARWAL, Pr. Secy. (Law, Justice & L.A.)